[2019] 15 एस. सी. आर. 19

ए.

श्री प्रबोध सीएच। डी. ए. एस. एंड ए. एन. आर. वी.

महामाया दास और ओआरएस। (2019 की सिविल अपील संख्या 9407) 13 दिसंबर, 2019

बी.

[एस**.** अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आर के लिए स्पष्टीकरण।17(1) Or.41-अपीलार्थी के चूक के लिए अपील को खारिज करना-मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जब मामला उठाया गया था, अपीलार्थी/प्रतिवादियों के वकील मामले पर बहस करने के लिए मौजूद नहीं थे और उनकी ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा:उचित नहीं-आर के उप-नियम (1) का स्पष्टीकरण।17 आई. डी. 1 का एक स्पष्ट प्रावधान करते हुए कानून को स्पष्ट करता है कि जहां अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है, वहां न्यायालय को योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है-दूसरे शब्दों में, यदि अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय यदि उचित समझता है तो उपस्थिति की चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन उसके पास योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने की शक्ति नहीं है-इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को अपास्त करना दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** नियम **17** के उप**-**नियम **(1)** में स्पष्टीकरण **1976** के अधिनियम **104** द्वारा जोड़ा गया था।**1976** से पहले देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सी**.** पी**.** सी**.** के आदेश **41** के नियम **17** के उप**-**नियम **(1)** के उद्देश्य और अर्थ के बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए थे। इसलिए**,** एक स्पष्ट प्रावधान करके कानून को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण **01.02.1977** से पेश किया गया था कि जहां अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है**,** वहां न्यायालय के पास योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है।इस प्रकार**,** अपने स्पष्टीकरण के सहपठित पढ़ा गया आदेश **41** नियम

17 (1) यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील को खारिज नहीं कर सकता है जहां अपीलार्थी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहता है।दूसरे शब्दों में**,** यदि अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है**,** तो न्यायालय यदि उचित समझता है तो उपस्थिति में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है**,** लेकिन उसके पास योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने की शक्ति नहीं है।**[**पैरा **9] [21-**जी**; 22-**ए**]** ए

एफ.

जी.

एच.

19

20 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

अब्दुर रहमान और अन्य बनाम अतिफा बेगम और अन्य

(1996) 6 एससीसी **62:[1996] 5** पूरक।एससीआर **391;**

घनश्याम दास गुप्ता बनाम माखन लाल **(2012) 8** एससीसी

745 :[2012] 8 एस**.** सी**.** आर**. 153-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

बी.

[1996] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 391** पर निर्भर

पैरा **10**

[2012] 8 एससीआर **153**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **10**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 9407।

सी.

2006 के आर. एस. ए. सं. 45 में अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.01.2015 निर्णय और आदेश से।

पीयूष के. रॉय, सुश्री काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, डॉ. निर्मल चोपड़ा, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में योग्यता के आधार पर दूसरी अपील को खारिज करने में उचित है।

ई.

3. इसमें अपीलार्थियों सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) खोवाई की फाइल पर 2000 के वाद टी. एस. 10 में प्रतिवादी हैं और प्रतिवादी वादी हैं।वादी ने अपने स्वामित्व की घोषणा, कब्जे की वसूली और अपने लाभ के लिए उक्त मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय ने 19.08.2002 पर मुकदमा खारिज कर दिया।पीड़ित महसूस करते हुए, वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, खोवाई के समक्ष 2003 की अपील संख्या 2 दायर की।जिला न्यायाधीश ने 30.06.2006 पर अपील को स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को अपास्त करना दिया गया और वादी को वाद भूमि का मालिक घोषित कर दिया गया।इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी मुकदमे की संपत्ति के कब्जे की वसूली के भी हकदार हैं।प्रथम अपीलीय न्यायालय के इस फैसले को प्रतिवादियों द्वारा 2006 के आर. एस. ए. No.45 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

एफ.

जी.

4. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपील को कई बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया था ए

एच.

21

श्री प्रबोध सीएच। डी. ए. एस. एंड ए. एन. आर. वी.महामाया दास और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

21.01.2015 पर, अपीलार्थियों/प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता मामले पर बहस करने के लिए मौजूद नहीं थे और उनकी ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया था।इसलिए, उच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर ही अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।अभिलेख पर

सामग्री पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर अपील को खारिज कर दिया।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

बी.

6. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने में उचित नहीं था।उनके तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 17 (1) के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया है।दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है।

सी.

7. यह विवादित नहीं है कि मामला 21.01.2015 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिस तारीख को अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता मामले पर बहस करने के लिए न्यायालय में मौजूद नहीं थे और उनकी ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया था।इसलिए, उच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर ही अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।

डी.

8. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 41 नियम 17 (1) इस प्रकार हैः

“आर. 17.अपीलार्थी के चूक के लिए अपील को खारिज करना।-(1) कहाँ?

ई.

निर्धारित दिन पर, या किसी अन्य दिन जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, अपीलार्थी तब उपस्थित नहीं होता है जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई जाती है, न्यायालय आदेश दे सकता है कि अपील को खारिज कर दिया जाए।

1 [स्पष्टीकरण -इस उप-नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर अपील को खारिज करने का अधिकार देता है।]”

एफ.

9. नियम 17 के उप-नियम (1) में स्पष्टीकरण 1976 के अधिनियम 104 द्वारा जोड़ा गया था।1976 से पहले देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सी. पी. सी. के आदेश 41 के नियम 17 के उप-नियम (1) के उद्देश्य और अर्थ के बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए थे। इसलिए, एक स्पष्ट प्रावधान करके कानून को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण 01.02.1977 से पेश किया गया था कि जहां अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है, वहां न्यायालय के पास योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है।इस प्रकार, अपने स्पष्टीकरण के

सहपठित पढ़ा गया आदेश 41 नियम 17 (1) यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील को खारिज नहीं कर सकता है जहां

जी.

1 1976 के सी. पी. सी. (संशोधन) अधिनियम 104 की धारा 87 द्वारा अंतःस्थापित। 1-2-1977)

एच.

22

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

ए.

अपीलार्थी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहता है।दूसरे शब्दों में, यदि अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय यदि उचित समझता है तो उपस्थिति में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन उसके पास योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने की शक्ति नहीं है।

10. अब्दुर रहमान के मामले में इस न्यायालय ने इस स्थिति को स्पष्ट किया है।

और अन्य बनाम अतिफा बेगम और अन्य **2** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

बी.

उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोष में नहीं जा सकता है जब अपीलार्थी की गैर-उपस्थिति थी। घनश्याम दास गुप्ता बनाम माखन लाल 3 में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार दोहराया हैः

“1976 से पहले, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा आदेश 41 सी. पी. सी. के नियम 17 के उप-नियम (1) के उद्देश्य और अर्थ के बारे में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए थे। कुछ उच्च न्यायालयों ने यह विचार रखा था कि अपीलीय न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करने के लिए खुला है, भले ही सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं थी।कुछ उच्च न्यायालयों ने यह विचार रखा था कि उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन केवल अपीलार्थी की चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है।विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उठाए गए परस्पर विरोधी विचारों ने अधिक मुकदमेबाजी को जन्म दिया।इसलिए विधायिका ने अपने विवेक में महसूस किया कि उसे संदेह से परे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।नतीजतन, आदेश 41 सी. पी. सी. के नियम 17 के उप-नियम (1) का स्पष्टीकरण 1976 के अधिनियम 104 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आदेश 41 सी. पी. सी. के नियम 17 के उप-नियम (1) में कुछ भी अपीलीय न्यायालय को योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने के लिए सशक्त बनाने के

रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जहां अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन अनुपस्थित रहा या बिना प्रतिनिधित्व के छोड़ दिया गया।इस तरह के स्पष्टीकरण को पेश करने का कारण इस तथ्य के कारण है कि यह अपीलार्थी को अपीलीय न्यायालय को यह समझाने का अवसर देता है कि उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था।ऐसा अवसर खो जाता है, यदि अदालतें अपीलार्थी के वकील की अनुपस्थिति में योग्यता के आधार पर अपील का फैसला करती हैं।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, न्यायालय ने नोटिस करने के बाद योग्यता के आधार पर अपील का फैसला किया है।इस तारीख को श्री लोध की ओर से स्थगन का अनुरोध किया गया था जब मामले को 18.12.2014 तक स्थगित कर दिया गया था और 18.12.2014 पर श्री चौधरी ने स्थगन का अनुरोध किया था।आज श्री चौधरी उपस्थित भी नहीं हैं।

जी.

2 1996 (6) एससीसी 62 3 2012 (8) एससीसी 745 ए

एच.

23

श्री प्रबोध सीएच। डी. ए. एस. एंड ए. एन. आर. वी.महामाया दास और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

मामले पर बहस करें और उनकी ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया है।इसलिए, मैं योग्यता के आधार पर ही अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता हूं।" यह आदेश स्पष्ट रूप से सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 17 (1) के उल्लंघन में किया गया है। 12.इसलिए, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और डिक्री को अपास्त करनाते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं।अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.